न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 05/2016/भीलवाड़ा(2016/00153)

पुष्कर लाल पंचौली पुत्र कन्हैयालाल पंचौली, जाति ब्राहम्ण, निवासी आहुजा गेस्ट हाऊस, नेताजी मार्केट, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/2016/22164 दिंनाक 22–01–2016

———

उपस्थितः 1– श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक :09.04.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपनी आत्म सुरक्षार्थ एक 12 बोर एक नाली बन्दूक जिसका हथियार नम्बर 15732–89 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 61/91 का जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से जांच रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, की जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा विचाराधीन होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की गई एवं अपीलार्थी के जवाब तुष्ट नहीं होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–1–2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 16–11–2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब मय दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये गये थे परनतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आईन्दा कोई पेशी नहीं दी गई और आदेश दिनांक 22–1–2016 पारित कर दिया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं हो सकी और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की अपीलार्थी को कोई जानकारी दी गई। दिनांक 25–2–2016 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने गया तो कार्यालय से मालूम हुआ कि उसके विरूद्ध आदेश पारित हो चुके है इस पर अपीलार्थी ने आदेश की नकल प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क कर सम्पूर्ण दस्तावेजात प्राप्त कर दिनांक 5–3–2015 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अविलम्ब अपील पेश की। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने भी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2014 तक नवीनीकृत था। उक्त दिनांक से पूर्व ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि 1 जनवरी, 2015 से 31, दिसम्बर 2017 तक नवीनीकरण करने हेतु

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर एवंजिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 23–1–2015 को जांचरिपोर्ट भिजवाते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 81/2007 अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होना बताया तथा अपीलार्थी के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की गई। इस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 2–9–2015 को नोटिस जारी कर दस्तावेजी साक्ष्य के जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिया गया । अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16–11–2015 को अपना जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया था कि जो मुकदमा विचाराधीन है वह द्वेशतावश उसमें अपीलार्थी का नाम लिखवाया गया है उसमें भी उसे दोष सिद्ध नहीं माना गया है। गवाहों के जो बयान हुए है उसमें भी उसका कहीं नाम नहीं है। साथ ही गवाहों के बयानों में भी अपीलार्थी द्वारा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 61/91 नवीनीकरण नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 22–1–2016 में यह अंकित किया है कि अनुज्ञापत्र धारी को दिनांक 7–9–2015 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 2–9–2015 को नोटिस दिया गया था परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त नोटिस अपीलार्थी को तामील नहीं होने के कारण अपीलार्थी उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। परन्तु बाद में दूसरा नोटिस दिया तो वह दिनांक 16–11–2015 को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये परन्तु उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारीत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17 (1) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 23–1–2015 में अपीलार्थी का आचरण एवं व्यवहार ठीक बताया गया एवं यह भी अंकन किया गया कि अपीलार्थी ने हथियार का कभी दुरूपयोग नहीं किया गया तथा शांति भंग संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध जो आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होना बताया गया है उसमें भी अपीलार्थी को भी दोष सिद्ध नहीं माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विरूद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ था उनमें से कोई भी आर्म्स एक्ट से संबंधित नहीं है ना ही उसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही विचाराधीन है। अपीलार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र से पब्लिक सुरक्षा एवं शांति भंग करने का कोई कृत्य नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2016 नॉन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। केवल मात्र एक लाईन में यह अंकित किया कि अपीलार्थी के जवाब से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं और आदेश पारित कर देना स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–1–2016 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 61/91 को बहाल कर उसका नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो इसके संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई जिसमें पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा विचाराधीन होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की गई एवं अपीलार्थी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया । अतः ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 22–1–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे मेरे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी ने अपनी आत्म सुरक्षार्थ 12 बोर एक नाली बन्दूक जिसका हथियार नम्बर 15732–89 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 61/91 का जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से जांच रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, की जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा विचाराधीन होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की गई एवं अपीलार्थी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं की आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण चाहा गया था। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय

दण्ड संहिता में पुलिस थाना प्रतापनगर में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा विचाराधीन होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 61/91 निरस्त किया है।

यहा यह भी उल्लेख करना उचित है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 259/2007 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपीलार्थी को उक्त धाराओं के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाकर वर्तमान जमानत मुचलके निरस्त करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित एवं विचाराधीन नहीं होने से प्रकरण में पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22164 दिनांक 22–1–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 259/2007 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 447, 353 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपीलार्थी को उक्त धाराओं के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाने के उपरान्त वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं होने बाबत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested